बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन राज्य में कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण संचालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा सभी प्रखण्डों में एक-एक प्रखण्ड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया गया तथा इन केन्द्रों के संचालन हेतु खुली निविदा(RFP)के माध्यम से एजेंसी का चयन किया गया । प्रथम चरण के RFP के आधार पर मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० को 6 BSDC यथा-धोरैया, कहलगांव, सन्हौला, जमालपुर, तारापुर तथा बौंसी का आवंटन किया गया । एजेंसी मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के द्वारा निर्धारित समय तक 4 BSDC को स्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण उनके 4 BSDC के आवंटन को रद्द कर दिया गया । एजेंसी के द्वारा अपने साथ संबद्ध 6 BSDC में से सिर्फ दो में यथा तारापुर (मुंगेर) तथा बौंसी (बांका) में हीं कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया । एजेंसी मेसर्स चंदा बिल्डकॉन के द्वारा अपने साथ आवंटित सभी 6 BSDC के लिए Performance guarantee की राशि जमा की गयी तथा बिहार कौशल विकास मिशन के साथ एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित किया गया । हस्ताक्षरित अनुबंध के Clause-III में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि "The organisation has to run the allotted BSDC by itself and any kind of subletting or sub contracting or Franchisee arrangement of the BSDC/BSDCs or conduct of training is strictly prohibited and impermissible under any circumstances. No joint venture or consortium or association is permissible." इन BSDC के आवंटन के लिए प्रकाशित RFP में भी Consortium/Partnership आदि में इन BSDC के संचालन को प्रतिबंधित किया गया था ।

दिनांक-9.7.2018 को एक श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन में एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० को आवंटित BSDC बौंसी(बांका) तथा BSDC तारापुर(मुंगेर) का संचालन उनके द्वारा चंदा बिल्डकॉन प्रा० लि० के साथ किये गये एकरारनामा के आधार पर जुलाई 2017 से किया जा रहा है । किये गये एकरारनामा के आधार पर इन कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर सभी प्रकार के उपकरणों जैसे-लैपटॉप, सी०सी०टी०वी० कैमरा, प्रोजेक्टर, डेस्कटॉप, इनभर्टर, ऑन लाईन यू०पी०एस० आदि की व्यवस्था उनके द्वारा की गयी है, लेकिन चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के द्वारा एकरारनामा की शर्तो के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें इन केन्द्रों के संचालन में कठिनाई हो रही है । अपने आवेदन पत्र के साथ श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा के द्वारा मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी । इस एकरारनामा के अवलोकन से यह विदित हुआ कि यह एकरारनामा श्री अरविन्द कुमार अकेला तथा श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा के बीच दिनांक-29.5.2017 को हस्ताक्षरित है तथा इस एकरारनामा की शर्तो के अनुसार BSDC तारापुर(मुंगेर) तथा BSDC बौंसी(बांका)के संचालन तथा इसको स्थापित करने में होने वाले व्यय का वहन श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा के द्वारा किया जाना है । एकरारनामा के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इन दोनों प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने में श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा के द्वारा राशि का भी व्यय किया गया है । एकरारनामा की शर्तो के अनुसार श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा को हर माह कर्मचारी एवं अन्य खर्चो को काटकर बचत राशि में से 70% की हिस्सेदारी होगी । यह राशि BSDM से प्राप्त होने के पश्चात मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के द्वारा श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा को तीन कार्यदिवस के अंदर उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० को बचत राशि का 30% प्राप्त होगा । श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा तथा मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के

बीच हस्ताक्षरित एकरारनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के Clause-III का उल्लंघन करते हुए BSDC तारापुर (मुंगेर) तथा BSDC बौंसी(बांका) के संचालन का दायित्व Franchisee mode में श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा को सौंप दिया गया है, जो बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित RFP तथा BSDM के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन है ।

एर्जेसी मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० से बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के Clause-III का उल्लंघन किये जाने के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–BSDM/SDM-26/2018-1382 दिनांक–24.8.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । इस स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के Clause-III का उल्लंघन करने तथा BSDC बौंसी एवं BSDC तारापुर को Franchisee mode में संचालित किये जाने के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए क्यों नहीं उनके साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को रद्द किया जाये तथा उनके द्वारा जमा की गयी Performance guarantee की राशि को जब्त कर लिया जाये । पूछे गये स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें कोई स्मार पत्र भी नहीं दिया जायेगा तथा उनकी एर्जेसी के विरुद्ध नियमानुकूल विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी । इस स्पष्टीकरण को email के माध्यम से मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के पंजीकृत email Address पर भेजा गया, लेकिन निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी एर्जेसी मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया ।

यह भी उल्लेखनीय है कि माह सितम्बर, 2017 में राज्य में संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण केन्द्र के सभी संचालकों से बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र मांगा गया था कि उनके द्वारा अपने साथ संबद्ध केन्द्रों को Franchisee mode में संचालित नहीं किया जा रहा है, बल्कि इन केन्द्रों का संचालन सीधे तौर पर उनकी एर्जेसी के द्वारा स्वयं किया जा रहा है । बिहार कौशल विकास मिशन में उपलब्ध कागजातों की समीक्षा से यह विदित होता है कि मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के द्वारा BSDC तारापुर(मुंगेर) तथा BSDC बौंसी(बांका) के स्वयं संचालित किये जाने के बिन्दु पर किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र बिहार कौशल विकास मिशन में जमा नहीं किया गया । यह भी उल्लेखनीय है कि मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के द्वारा उनके साथ आवंटित 4 अन्य BSDC यथा–धोरैया, कहलगांव, सन्हौला तथा जमालपुर को निर्धारित अवधि तक स्थापित नहीं किये जाने के आरोप के लिए उनके द्वारा इन केन्द्रों के लिए जमा की गयी Performance guarantee की राशि को पूर्व में हीं जब्त कर लिया गया है तथा इन 4 केन्द्रों का आवंटन अन्य एर्जेसी को कर दिया गया है ।

सभी तथ्यों के समीक्षा के पश्चात यह स्थापित होता है कि मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के Clause-III का उल्लंघन करते हुए BSDC बौंसी(बांका) तथा BSDC तारापुर(मुंगेर) के संचालन का दायित्व Franchisee mode में एक अन्य व्यक्ति श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा को सौंप दिया गया है, जो इन केन्द्रों के आवंटन हेतु प्रकाशित RFP तथा हस्ताक्षरित अनुबंध के शर्तो का उल्लंघन है ।

अतः BSDC बौंसी(बांका) तथा BSDC तारापुर(मुंगेर) का संचालन Franchisee mode में किये जाने के प्रमाणित आरोपों के लिए मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा०लि० के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को निरस्त किया जाता है, उनके द्वारा इन केन्द्रों के संचालन के लिए जमा किये गये Performance guarantee की राशि को जब्त किया जाता है तथा उन्हें अगले 5 वर्षो तक बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है । चूंकि BSDC के आवंटन हेतु Turn over की प्रक्रिया निर्धारित थी, अर्थात जिन एर्जेसी का Turn over 100 लाख था, वे

हीं BSDC के आवंटन के लिए प्रकाशित RFP में भाग ले सकते थे, लेकिन श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा के द्वारा RFP की शर्तो का उल्लंघन करते हुए Franchisee mode में गलत तरीके से BSDC के संचालन का दायित्व प्राप्त किया गया, अतः उन्हें भी बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित किसी भी RFP में अगले 5 वर्षो तक भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है ।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/SDM–26/2018– 842 पटना,दिनांक– 6/3/19

प्रतिलिपि– (1) सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(2) मेसर्स चंदा बिल्डकॉन प्रा0लि0/ श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(3)Project Director, MKCL/Project Director,E&Y/प्रभारी, SPMU मुंगेर, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(4)अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन निदेशक/ मिशन प्रबंधक(कार्यक्रम क्रियान्वयन)/ मिशन प्रबंधक(वित्त) बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(5) श्री रत्नदीप सिंह, Manager MIS, SPMU को सूचनार्थ। आदेश दिया जाता है कि वे इसे बिहार कौशल विकास मिशन के वेव पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

6/3/2019

(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।